न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I (RAS)**

राजस्व वाद संख्या :– **94/2014 GCMS 2014/00068** (नया 185/2025)

वादीगण :–

1. बाबू पुत्र रसूलबक्ष जाति मुसलमान निवासी कुचामन सिटी के फौत होने पर कायम मुकाम
   1. गुलाब बानो पत्नी स्व. बाबु
   2. मोहम्मद अहसान पुत्र स्व. बाबु
   3. मोहम्मद रफीक पुत्र स्व. बाबु
   4. मोहम्मद शरीफ पुत्र स्व. बाबु
   5. फिरोज खान पुत्र स्व. बाबु
   6. मरियम पुत्री स्व. बाबु
   7. रूकइया बानो पुत्री स्व. बाबु
   8. कबिरन बानो पुत्री स्व. बाबु
   9. मुन्नी बानो पुत्री स्व. बाबु
   10. मुमताज बेगम पुत्री स्व. बाबु
   11. बेबी पुत्री स्व. बाबु

   समस्त जाति मुसलमान निवासीयान कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी
2. अयूब पुत्र निजामुदीन जाति मुसलमान निवासी कुचामन सिटी
3. याकूब पुत्र निजामुदीन जाति मुसलमान निवासी कुचामन सिटी
4. मो. इकबाल पुत्र निजामुदीन जाति मुसलमान निवासी कुचामन सिटी
5. अनवर पुत्र निजामुदीन जाति मुसलमान निवासी कुचामन सिटी
6. अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी कुचामन सिटी
7. अब्दुल समद पुत्र अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी कुचामन सिटी
8. मोहम्मद सदीक पुत्र अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी कुचामन सिटी
9. रमजान खान पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी कुचामन सिटी
10. लुकमान पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी कुचामन सिटी
11. मोहम्मद नईमुदीन पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी कुचामन सिटी
12. मोहम्मद सबीर पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी कुचामन सिटी
13. अब्दुल अजीज पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी कुचामन सिटी
14. अब्दुल कयूम पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी कुचामन सिटी

Signature Not Verified

प्रतिवादीगण :–

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:46:26 IST
Reason: SelfAttested

1. सोहनी देवी बेवा मा... के फौत होने पर कायम मुकाम

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

1/1 सतू पुत्र मालचन्द

1/2 मूना पुत्र मालचन्द

समस्त जाति सोनी निवासीयान जाति नाई निवासी कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी

2. मोहनलाल पुत्र गोविन्दराम जाति नाई निवासी कुचामन सिटी
3. रामअवतार पुत्र गोविन्दराम जाति नाई निवासी कुचामन सिटी
4. उप पंजीयक कुचामन सिटी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन सिटी

आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता

दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री मुरलीधर शर्मा अधिवक्ता वादीगण की ओर से

श्री मो. हनीफ अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4 व 5 की ओर से

–:निर्णय :–

दिनांकः– 24/02/2025

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 135 रकबा 126 बीघा रकबा 1.29 है. के निजामुदीन सुलमान बाबु गनी रसुल बक्ष लुहार काबिज काश्तकार रहे थे जिनके वाद वादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं उपरोक्त कृषि भूमि में निजामुदीन गनी सुलमान का स्वर्गवास हो जाने पर उनके विविधक उत्तराधिकारी वादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं जो आज दिन तक काश्तकार है। वादीगण अपनी भूमि को अपने नाम फौतगी नामांतकरण कराने बाबत् हल्का पटवारी को कहा तो उन्होंने खाता दिखाकर बताया कि उक्त खातेदारी वादीगण एवं उनके पिता का नाम ही दर्ज नहीं होना बताया तत्कालीन हल्का पटवारी ने मनमर्जी से वादीगण व उसके पिता का नाम ही दर्ज नहीं होना बताया तत्कालीन हल्का पटवारी ने मनमर्जी से वादीगण व उसके पिताजी की जगह अजनबी का नाम अंकित हो गया है। मालचंद गोरधनलाल सोनी नामक व्यक्ति का सिकी भूभाग भौतिक कब्जा हक नहीं रहा है। यह फर्जी मनमानी इंद्राज की पुनरावृत्ति जमाबंदियों में होती रही है व मालचंद के बाद आगामी जमाबंदी में मोहनलाल पुत्र गोविंदराम व रामअवतार पुत्र गोविंदराम जाति नाई के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी जो सरासर गलत तरीके से किया गया है हस्तांतरण है जो कि नल एंड वायड है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से 5 को उनके व उनके पिता के स्थान पर अवैध रूप से दर्ज कराए गए इंद्राज को दुरूस्त कराने वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतु कहा गया तो कुछ दिन तो आश्वासन देते रहे तथा अब साफ इंकार कर दिया तथा भूमि का हस्तांतरण करने व अवादीगणों को बेदाल करने की धमकी भी दे दी है अगर वादीगण को बेदखल करने व गलत खाते के आधार पर पुनः बैचान करने व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 सफल हो जाने पर वादीगणों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:46:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (प्र.) कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

जायज हितो पर बेजा कुठाराघात होगा जबकि वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा कराने के पूर्ण हकदार है। प्रतिवादी सं. 4 व 5 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर खसरा नंबर 464 रकबा 1.29 है. भूमि पर वादीगण का कोई अधिकार नहीं होने झूठा गलत तथ्यों के आधार पर बिना किसी अधिकार के वाद प्रस्तुत करने पुराने खसरा नंबर 135 का पूरा विवरण प्रस्तुत नहीं करने वादीगण अथवा इनके पूर्वजों द्वारा पुराने खसरा नंबर 135 में जो भूमि आई हुई थी उसका बैचान इनके द्वारा अन्य लोगों को किया जा चुका है। वर्तमान खसरा नंबर 464 रकबा 1.29 है. भूमि वादीगण एवं इनके पूर्वजों के कब्जे काश्त में कभी नहीं रही मौजुदा खसरा सं. 464 के संदर्भ में वादीगण ने झुठा विवाद खड़ा कर अनुतोष चाहा है। विवादित भूमि पर निजामुदीन सुलेमान बाबू गनी रसुलबक्ष लुहार कृषक कभी नहीं रहे न ही इन वादीगण अथवा इनके पूर्वजों का कभी कब्जा विवादित भूमि पर कभी रहा। नामांतकरण सं. 102 भूप्रबंध अधिकारी द्वारा किया गया है जिसको अंदर मियाद चुनौती नहीं दी गई। विवादित भूमि पर उत्तरदाता से पूर्व विकेता मालचंद सोनी काबिज थे मौके पर उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण ने दो कमरे रसोई बाथरूम बनवा रखे हैं जेसीबी से खंदक बनाई हफये खेत के गेट बनाया हुआ है। विवादित भूमि प्रतिवादी उत्तरकर्तागण ने मालचंद सोने से जरिये पंजीबद्ध बैचाननामा कय की है। वादीगण का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। विवादित भूमि उत्तरकर्तागण की खरीरशुदा खातेदरी अधिकार की भूमि है। प्रकरण हाजा में वादीगण ने न्यायालय हाजा से विवादित खसरा नंबर 464 रकबा 1.29 है. में 1/4–1/4 हिस्से का काबिज खातेदार के आशय की खातेदारी अधिकारी की घोषणा डिकी चाही गई है। घोषणार्थ वाद में कब्जा का अनुतोष मागें जाने के आज्ञापक प्रावधान है इसके बावजुद वादीगण ने प्रकरण हाजा में कब्जे का अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए वादीगण का दावा कब्जे प्राप्त के अनुतोष के अभाव में विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण का वाद बिना कब्जा प्राप्ति के अनुतोष के वादीगण का खातेदारी अधिकारों की घोषणार्थ प्रस्तुत दावा मय हर्जे खारिज फरमाने की इस्तदुआ दी है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी की ओर से पेश किये गये प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पर जवाब नही देकर सीधे बहस का निवेदन किया गया। वादी सं. 1 ता 14 की ओर से प्रतिवादी सं. 04 व 05 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी की लिखित बहस पेश की गई। जिसके अनुसार वादिया द्वारा उपरोक्त वाद झूठे एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो कि न्यायालय द्वारा पोषणीय नहीं है। ग्राम टोरड़ा तहसील कुचामन सिटी के पुराने खसरा सं. 135 नवीन खसरा सं. 464 रकबा 1.29 है. पर वादीगण के पिता के नाम संवत् 2041 से 2044 तक [illegible] सुलेमा, बाबुगनी पिता रसूलबक्ष लुहार के नाम से खातेदारी निरतंर चली [illegible] रहे [illegible] जो संवत् 2046 से 2065 का पर्चा लगान में भी निजामूदीन सुलेमान [illegible] लुहार काबिज चले आ रहे है। आज दिन तक भी वादीगण [illegible] रजनों में से किसी के द्वारा भी कोई हस्तानांतरण पत्र प्रतिवादी सं. 04 ता 05 के [illegible] में निष्पादित नहीं किया गया है। आज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:46:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

दिन तक भी वादीगण उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि पर काबिज काश्त है इस संदर्भ में वाद पत्र के साक्ष्य में वादी तथा स्वतंत्र गवाहों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जो चुके हैं तथा ई.एक्स.पी 01 ता 40 दस्तावेज एक्जीबीट करवा दिये गये हैं। वादी शुरू से ही उक्त वादग्रस्त जमीन पर काबिज चला आ रहा है तथा आज दिन तक भी कब्जा वादी के पास ही है। जिस कारण कब्जे का अनुतोष मांगे जाने की आवश्यकता नहीं है ना ही घोषणात्मक वाद में कब्जे का अनुतोष मांगा जाना आज्ञापक है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान खण्ड पीट जयपुर के एस.बी.सिविल रिट पीटीसन खसरा नंबर 3422/2008 गोविंद नारायण बनाम बाहेती धर्मशाला एवं अन्य में माननीय न्यायाधीश श्री महेश भगवती ने एक रिपोर्टेबल न्याय निर्णय दिया जिसके अनुसार आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में वाद केवल निम्न परिस्थितियों में ही खारिज किया जा सकता है:–

1. यदि यह वाद हेतुक को नहीं दर्शाया है।
2. यदि यह वाद मूल्यांकन कम मूल्य पर किया गया है तथा न्यायालय संशोधन की मांग करता है तथा वादी निश्चित समय पर ऐसा करने में असफल रहता है।
3. यदि वाद मूल्यांकन सही किया गया है परंतु न्याय शुल्क द्वारा दिये गये समय में वादी कमी पूर्ति में असफल रहा हों।
4. यदि वाद विधि द्वारा वर्जित अभिकथनों का संयोजन हो।
5. यदि वाद दो प्रति में प्रस्तुत नहीं है।
6. यदि वादी नियम 09 की पालना में असफल हो एवं इस न्याय निर्णय के पैरा सं. 09 में भी एक महत्त्वपूर्ण अभिकथन है कि ओदश 07 नियम 11 सीपीसी में वाद को खारीज करवाने के लिए वादी तथा प्रतिवादी को अधिकार नहीं है यह समस्त अधिकार न्यायालय के विवके पर है। प्रस्तुत वाद पत्र इस न्याय निर्णय की सभी शर्तों की अक्सर से पालना करता है।
7. माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की सिविल प्रथम अपील एस.बी.सिविल प्रथम अपील नंबर 13/2014 दिनांक 23.01.2018 मौ.फारूख बनाम योगेश अन्य में प्रतिपादित न्याय निर्णय के अनुसार आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में वाद पत्र का खारीज करना वाद कारण उल्लेखित है अथवा नहीं महत्त्वपूर्ण नहीं है। अभिवचनों से वादी का आशय निकलना चाहिए दस्तावेज पेश करना भी वाद खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में बाद में भी शामिल किये जा सकते हैं इस न्याय निर्णय में महत्त्वपूर्ण अभिकथन किया गया है बाल की खाल जैस तकनीकी कमियों को टालना चाहिए।

आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी में निम्न प्रावधान किये गये है जिसके आधार पर ही प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है:–

(ए) जहां वाद कारण उत्पन्न क[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:16:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

(बी) जहां दावा की गई राहत का कम मूल्यांकन किया गया है, और वादी अंदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन को सही करने के लिए अपेक्षित होने पर भी, ऐसा करने में विफ़ल रहता है।

(सी) जहां दावा की गई राहत का उचित मूल्यांकन किया गया है, लेकिन वाद अपर्याप्त स्टाम्प वाले कागज पर लिखी है, और वादी अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक स्टाम्प पेपर की आपूर्ति करने के लिए अदालत द्वारा आवश्यक होने पर ऐसा करने में विफल रहता है।

(डी) जहां वाद वादपत्र में दिए गए बयान से किसी कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता है।

प्रार्थना पत्र जवाब व बहस व सीपीसी आदेश 7 नियम 11 के गहन अध्ययन से प्रतीत होता है कि वादहेतुक प्रकट होना अतिआवश्यक है। इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ना तो खातेदार है ना ही उसका कब्जा सिद्ध है। अप्रार्थी ने सन् 2014 में वादहेतुक उत्पन्न होना बताया जबकि अप्रार्थी का नाम कई दशकों से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। ऐसे में यह वाद पत्र में वादहेतुक प्रकट होना प्रतीत नहीं होता है। इन कारणों पर सीपीसी आदेश 7 नियम 11 स्वीकार करने योग्य होने प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आर्डर 07 रूल्स 11 सी.पी.सी. स्वीकार कर वाद पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 24/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार-I,)
उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी
जिला–(डीडवाना–कुचामन

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:46:26 IST
Reason: SelfAttested